UPJP010013752026

न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम्, जौनपुर

उपस्थितः सुरेन्द्र प्रताप यादव (एच०जे०एस०)
आई०डी० नं०–यू०पी० 1668

फौजदारी अपील संख्या–27 सन् 2026

कन्हैयालाल उम्र करीब 65 साल पुत्र अछैवर साकिन मौजा पसियाही कला, थाना नेवढ़िया, जिला जौनपुर।

............अपीलार्थीगण

बनाम

1. पूनम देवी पत्नी धर्मेन्द्र उर्फ महेन्द्र साकिन मौजा पिपरा, थाना मड़ियाहूं, जिला जौनपुर।

..............विपक्षी सायला

2. प्रभावती देवी पत्नी कन्हैयालाल,
3. निशा उर्फ आशा पुत्री कन्हैयालाल,
   साकिन मौजा पसियाही कला, थाना नेवढ़िया, जिला जौनपुर।

..............विपक्षीगण

निर्णय

1– प्रश्नगत फौजदारी अपील, विचारण न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं०–12 जौनपुर द्वारा मुकदमा संख्या–51/2025 श्रीमती पूनम देवी बनाम कन्हैयालाल आदि प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में पारित एकपक्षीय निर्णय दिनांकित 02.02.2026 क्षुब्ध होकर योजित की गयी है, जिसमें न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर यह आदेशित किया गया है कि (अ) विपक्षीगण को आदेशित किया जाता है कि वे परिवादिनी के विरूद्ध भविष्य में किसी प्रकार की घरेलू हिंसा कारित न करें। (ब) विपक्षी संख्या–1 कन्हैयालाल को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादिनी को निवास हेतु रहायशी मकान में एक कमरा, किचन, लैट्रिन, बाथरूम अपने स्वयं के घर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। विपक्षी कन्हैयालाल आवेदिका को उपरोक्त मकान में शान्तिपूर्ण अध्यासन हेतु या उपरोक्त मकान में आने–जाने में स्वयं या अपने परिवार के सदस्य या अभिकर्ता के माध्यम से किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें। यदि उसके द्वारा ऐसी सुविधा सम्भव न हो, तो वह आवेदिका को उसी स्तर की अनुकल्पिक आवासीय सुविधा जैसा उसके द्वारा सहभागी गृहस्थ गृह में उपयोग की गयी हो, सुनिश्चित कराये या उक्त हेतु किराया संदाय करें। (स) विपक्षी संख्या–1 कन्हैयालाल को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादिनी को इस आदेश की तिथि से भरण–पोषण हेतु मु०ः

Digitally signed by SURENDRA PRATAP YADAV
Date: 2026.07.08 15:59:49 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Jaunpur

1500/-(एक हजार पांच सौ रूपये) प्रतिमाह की दर से प्रत्येक 10 तारीख तक प्रदान करें। (द) विपक्षी संख्या-1 कन्हैयालाल को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादिनी को कारित घरेलू हिंसा के प्रतिकर स्वरूप मु०ः 20,000/- (बीस हजार रूपये) निर्णय की तिथि से दो माह के अन्दर प्रदान करें।

2- अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील में यह आधार लिया गया है कि प्रश्नगत एकपक्षीय निर्णय तथ्य एवं विधि के विरूद्ध है। सायला पूनम देवी पत्नी धर्मेन्द्र उर्फ महेन्द्र ने अपीलार्थी (विपक्षी) व विपक्षी संख्या-2 ता 3 को पक्षकार बनाकर अन्तर्गत धारा-12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अन्तर्गत गलत, झूठ, असत्य एवं काल्पनिक कथन के साथ वाद योजित किया है। श्रीमती पूनम पत्नी धर्मेन्द्र उर्फ महेन्द्र जाति के यादव है। अपीलार्थी व विपक्षी सख्या 2 व 3 जाति के राजभर है। अपीलार्थी की पत्नी विपक्षी संख्या 2 प्रभावती देवी है तथा एकमात्र पुत्री निशा है, जो विवाहित है। तथाकथित महिला पूनम देवी विपक्षी (सायला) व उसके पति धर्मेन्द्र उर्फ महेन्द्र शातिर व बदमाश किस्म के व्यक्ति है, जो अपीलार्थी की सम्पत्ति हड़पने के लिए अवर न्यायालय में एक नोटरी शपथपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी कन्हैयालाल ने विपक्षी सायला के पति धर्मेन्द्र उर्फ महेन्द्र को दत्तक पुत्र के रूप में लिया है। धर्मेन्द्र उर्फ महेन्द्र को अपीलार्थी न तो जानता है और न पहचानता है। अपीलार्थी ने विपक्षी संख्या-1 के पति को दत्तक के रूप में न तो स्वीकार किया और न कभी दत्तक पुत्र के रूप में हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार कोई संस्कार ही हुआ है। दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम 1955 के अनुसार दत्तक पुत्र का पंजीकरण अनिवार्य है और दत्तक पुत्र प्राप्त करने की कार्यवाही हिन्दू धर्म शास्त्र के अनुसार सम्पन्न होना आवश्यक है। अपीलार्थी ने अपनी आपत्ति दाखिल किया था, लेकिन अवर न्यायालय ने अपीलार्थी को बिना सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये, सरसरी तौर पर निर्णय पारित कर दिया है। अपीलार्थी व उसकी पत्नी ने दिनांक 13.12.2022 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार पूनम देवी का विवाह धर्मेन्द्र से नहीं कराया है। अपीलार्थी की मात्र एक कानूनी वारिस विपक्षी संख्या-3 निशा राजभर है। अवर न्यायालय ने सुनावाई के वक्त अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया, जिससे निर्णय पारित करने में कानूनी व वाकियाती गलती हुई है। हरगिज कोई दायित्व पूनम देवी पत्नी धर्मेन्द्र यादव को निर्वहन करने की अथवा भरण-पोषण का कोई दायित्व नहीं है और न कोई पूनम देवी को भरण-पोषण मांगने का अधिकार है। पूनम देवी धर्मेन्द्र उर्फ महेन्द्र यादव की पत्नी है, जिसका कोई सम्बन्ध अपीलार्थी से नहीं है। धर्मेन्द्र के जीवित रहते हुए पूनम देवी को धर्मेन्द्र से भरण-पोषण का अधिकार है, लेकिन पूनम देवी व धर्मेन्द्र उर्फ महेन्द्र यादव ने आपस में साजिश

करके अपीलार्थी कन्हैयालाल राजभर को अपना ससुर गलत व फर्जी ढ़ंग से घोषित करते हुए वाद प्रस्तुत किया। अवर न्यायालय ने प्रश्नगत एकपक्षीय निर्णय पारित करते समय अपने मस्तिष्क का सही उपयोग नहीं किया और न ही अपीलार्थी को आपत्ति के प्रकाश में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया और न ही अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया और न बहस हेतु अवसर दिया, जिससे निर्णय पारित करने में महान त्रुटि हुई है। अवर न्यायालय ने प्रश्नगत निर्णय पारित करते समय अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर प्रश्नगत निर्णय पारित किया है। अपीलार्थी को साक्ष्य व सबूत सहादत प्रस्तुत करने का अवसर देकर गुण–दोष पर आदेश पारित किया जाना आवश्यक है। प्रश्नगत निर्णय स्थिर रहने योग्य नहीं है, निरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

3– अपीलार्थी की ओर से अपने कथनों के समर्थन में एकपक्षीय निर्णय दिनांकित 02.02.2026, आपत्ति दिनांकित 01.07.2025 की सत्य प्रतिलिपियां, छायाप्रति आधार कार्ड धर्मेन्द्र कुमार यादव व कन्हैयालाल, छायाप्रति निवास प्रमाणपत्र कन्हैयालाल, छायाप्रति राशन कार्ड, छायाप्रति परिवार रजिस्टर दाखिल किया गया है।

4– उभयपक्ष पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को सुना गया तथा अपील पत्रावली, मूल पत्रावली एवं प्रश्नगत आदेश दिनांकित 02.02.2026 का सम्यक् परिशीलन किया।

निष्कर्ष

5– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी की ओर से यह फौजदारी अपील विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं०–12 के द्वारा मुकदमा संख्या–51/2025 अन्तर्गत धारा–12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में पारित एकपक्षीय निर्णय दिनांक 02.02.2026 के विरूद्ध दाखिल की गयी है।

6– अपीलार्थी के द्वारा अपील में मूलतः यह आधार लिया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय का निर्णय तथ्य एवं विधि के विरूद्ध है। अपीलार्थी को तथा विपक्षी संख्या 2 ता 3 को पक्षकार बनाकर गलत, झूठ एवं काल्पनिक कथनों के आधार पर वाद दाखिल किया गया है। श्रीमती पूनम देवी तथा अपीलार्थीगण की जाति अलग–अलग है। धर्मेन्द्र, जिसे परिवादिनी पूनम देवी अपना पति कहती है, उसका अपीलार्थी से कोई वास्ता सरोकार नहीं है, न ही वह अपीलार्थी का पुत्र है और न ही उसने उसे गोद लिया है। अपीलार्थी ने परिवाद में आपत्ति दाखिल किया था, लेकिन उसे बिना सुने और साक्ष्य का अवसर दिये सरसरी तौर पर आदेश पारित किया गया है। उसने परिवादिनी की शादी महेन्द्र से नहीं करायी थी। उसकी एकमात्र पुत्री निशा है। उसका सम्बन्ध न तो पूनम देवी से है और न ही

धर्मेन्द्र से है। केवल उसकी सम्पत्ति हड़पने के लिए तथा उसके घर पर कब्जा करने के लिए वाद दाखिल किया गया है। विद्वान मजिस्ट्रेट के द्वारा न तो अपने मस्तिष्क का प्रयोग किया गया है और न ही साक्ष्य का अवसर दिया गया है। बिना बहस सुने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। अतः निर्णय दिनांकित 02.02.2026 निरस्त किया जाए।

7– निर्णय दिनांकित 02.02.2026 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान अवर न्यायालय ने परिवाद के कथनों का उल्लेख करते हुए यह पाया कि विपक्षीगण पर जरिये प्रकाशन तामीला पर्याप्त माना गया। विपक्षीगण पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी उपस्थित नहीं आये और न ही कोई एतराज दाखिल किया गया है। इसके पश्चात वाद की कार्यवाही एकपक्षीय अग्रसारित की गयी। परिवादिनी द्वारा अपने समर्थन में स्वयं का साक्ष्य शपथपत्र प्रस्तुत किया। परिवादिनी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस को सुना गया। मामले के तथ्य एवं परिस्थिति, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायालय का मत है कि आवेदिका का प्रार्थनापत्र एकपक्षीय रूप से स्वीकार करके धारा–18, 19, 20 व 22 के अन्तर्गत आदेश पारित किया जाए। प्रार्थनापत्र को स्वीकार करते हुए घरेलू हिंसा कारित करने से मना किया गया तथा विपक्षी संख्या 1 को गृहस्थी में रहने हेतु एक कमरा, किचेन, लैट्रिन, बाथरूम स्वयं के घर में उपलब्ध कराये, यदि ऐसी सुविधा ना हो, तो उसे ऐसी अनुकल्पिक आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी जाए या उसके लिए किराया दिया जाए तथा मु०ः 1500/– रूपये प्रतिमाह भरण–पोषण एवं मु०ः 20,000/– रूपये प्रतिकर के रूप में दिये जाने का आदेश पारित किया गया है।

8. अपीलीय पत्रावली के साथ परिवाद की मूल पत्रावली अवर न्यायालय से तलब होकर संलग्न है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादिनी के द्वारा परिवाद अन्तर्गत धारा–12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, दिनांक 17.10.2024 को जिला प्रोबेशन अधिकारी के यहाँ प्रार्थनापत्र दाखिल किया, जो दिनांक 16.12.2024 को अन्तरित होकर मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश हुआ और उसे दर्ज करते हुए विपक्षीगण को नोटिस जारी करने का आदेश हुआ। आवेदिका/परिवादिनी ने प्रार्थनापत्र में यह कथन किया कि उसकी शादी विपक्षी कन्हैयालाल व प्रभावती देवी के पुत्र धर्मेन्द्र से 13.12.2022 को हुई। वह अपने ससुराल में तीन माह तक रही। दिये गये उपहार से विपक्षीगण संतुष्ट नहीं थे, मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे। उसका पति दिल्ली शहर में रहता है और पति की कमाई से ही अभियुक्त कन्हैयालाल व प्रभावती ने पक्का घर बना लिया है। मोटरसाइकिल न मिलने के कारण उसे मारते–पीटते हैं तथा खाना–कपड़ा नहीं देते है। दिनांक 05.12.2023 को

उसका सारा सामान छीनकर मारपीट कर घर से बाहर कर दिया। वह अपने माता–पिता के घर गयी। वहाँ से पुलिस में सूचना दिया, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। वह अपने पति के साथ उसी घर में रहना चाहती है। उसका पति बाहर रहता है। विपक्षीगण शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, इसलिए उसे पति के द्वारा बनवाये गये मकान में अलग कमरा, पांच हजार रूपये गुजारा भत्ता, एक लाख रूपये प्रतिकर, विपक्षी कन्हैयालाल से दिलाया जाए। पत्रावली के आदेश पत्रक व सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी कन्हैयालाल दिनांक 19.03.2025 को उपस्थित हुआ तथा दिनांक 01.07.2025 को आवेदिका के प्रार्थनापत्र पर आपत्ति दाखिल की और लगातार पत्रावली में उपस्थित होता रहा। दिनांक 22.09.2025 व 29.09.2025 को विद्वान अवर न्यायालय के द्वारा जब यह लिखा गया कि पुकार पर परिवादिनी हाजिर है, विपक्षी अनुपस्थित है। उक्त तिथियों पर भी आदेश पत्रक के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी कन्हैयालाल उपस्थित रहा है और उसके द्वारा हस्ताक्षर बनाया गया है। विद्वान अवर न्यायालय ने अपने निर्णय में विपक्षी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अग्रसारित करने का उल्लेख किया है, परन्तु आदेश पत्रक में एकपक्षीय कार्यवाही अग्रसारित करने का कोई उल्लेख नहीं है। आदेश में भी यह उल्लिखित नहीं है कि किस तारीख को एकपक्षीय कार्यवाही अग्रसारित की गयी है। आदेश पत्रक के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि 27.01.2026 के पश्चात कौन सी तिथि नियत की गयी, यह स्पष्ट नहीं है। एक सादे पेपर पर 20.02.2026 व 26.02.2026 की तिथि अंकित है। कब परिवादिनी के द्वारा साक्ष्य दिया गया, कब बहस सुनी गयी, यह दोनों तिथियां आदेश पत्रक में उल्लिखित नहीं है। विद्वान मजिस्ट्रेट के द्वारा यह भी निर्णय में उल्लिखित किया गया है कि आवेदिका/परिवादिनी ने पी०डब्ल्यू०–1 के रूप में अपना साक्ष्य शपथपत्र प्रस्तुत किया है, परन्तु पत्रावली पर कोई भी साक्ष्य शपथपत्र दाखिल नहीं है, न ही किसी अन्य साक्षी का साक्ष्य शपथपत्र ही दाखिल किया गया है। यहाँ तक कि प्रार्थनापत्र के समर्थन में भी कोई भी शपथपत्र दाखिल नहीं किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि विपक्षी की ओर से कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गयी है, जबकि पत्रावली पर आपत्ति दिनांकित 01.07.2025 दाखिल की गयी है और विद्वान मजिस्ट्रेट के द्वारा स्वयं आपत्ति पर यह अंकित किया गया है कि दिनांक 22.07.2025 को सुनवाई हेतु पेश हो।

9. आवेदन पत्र से यह स्पष्ट है कि प्रार्थनापत्र धारा–12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत किया गया है। विपक्षी कन्हैयालाल को ससुर, प्रभावती देवी को सास, निशा को ननद तथा हरीश को ननदोई के रूप में पक्षकार

बनाते हुए आवेदन पत्र दाखिल किया गया है, परन्तु अपने पति को पक्षकार आवेदिका पूनम ने नहीं बनाया है। धारा–12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत अनुतोष के लिए यह आवश्यक है कि आवेदिका सांझी गृहस्थी में निवास करती हो और आवेदिका का विपक्षीगण से वैवाहिक अथवा रक्त सम्बन्ध हो। साथ ही साथ विपक्षीगण उसके साथ सांझी गृहस्थी में रहते हो। हस्तगत प्रकरण में आवेदिका ने विपक्षीगण को अभियुक्त बताया है तथा किस व्यक्ति से क्या सम्बन्ध है, उसे आवेदन पत्र की धाराओं में स्पष्ट नहीं किया है। आवेदिका ने स्वयं यह कथन किया कि उसका पति बाहर ट्रक ड्राइवरी करता है। विपक्षी ने आपत्ति में स्पष्ट रूप से बताया कि आवेदिका उसकी बहू नहीं है और न ही धर्मेन्द्र कुमार उसका बेटा है। विद्वान मजिस्ट्रेट के द्वारा पति के होते हुए विपक्षी कन्हैयालाल पर भरण–पोषण का भार किस आधार पर डाला गया, उसके सन्दर्भ में कोई विश्लेषण नहीं किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने न तो सांझी गृहस्थी, आवेदिका से विपक्षी का सम्बन्ध व अन्य व्यक्तियों से सम्बन्ध, के बारे में कोई भी उल्लेख अपने निर्णय में नहीं किया है। विपक्षी/अपीलार्थी की ओर से दाखिल परिवार रजिस्टर की नकल, आधार कार्ड धर्मेन्द्र कुमार यादव, आदेविका, कन्हैयालाल के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि विपक्षी/अपीलार्थी का कोई सम्बन्ध आवेदिका अथवा उसके पति से नहीं है। एक शपथपत्र धर्मेन्द्र की ओर से दिनांकित 01.05.2025 दाखिल किया गया है, जिसमें उसने स्वयं को कन्हैयालाल द्वारा पांच वर्ष की आयु से गोद लेने की बात कही गयी है, परन्तु जो आधार कार्ड प्रस्तुत किया गया है, उसमें उसके पिता का नाम कन्हैयालाल नहीं है, बल्कि कल्लू यादव है। कन्हैयालाल की जाति राजभर है, जबकि धर्मेन्द्र व उसके पिता यादव जाति के हैं।

10. इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने न तो आवेदिका के प्रार्थनापत्र के तथ्यों को सही से देखा और न ही विपक्षी/ अपीलार्थी कन्हैयालाल की आपत्ति को ही अवलोकित किया। साथ ही साथ पत्रावली पर की गयी कार्यवाहियों को भी निर्णय के समय देखे बिना सरसरी तौर पर, तथ्यों, साक्ष्यों एवं विधि के विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है, ऐसे में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 02.02.2026 स्थिर रहने योग्य नहीं है। अपीलार्थी अपील में लिये गये आधारों को साबित करने में सफल रहा है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है तथा निर्णय दिनांकित 02.02.2026 निरस्त किये जाने योग्य है।

–<u>आदेश</u>–

अपीलार्थी कन्हैयालाल द्वारा प्रस्तुत फौजदारी अपील संख्या–27 सन् 2026 कन्हैयालाल बनाम पूनम आदि स्वीकार की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय

द्वारा पारित एकपक्षीय निर्णय दिनांकित 02.02.2026 अपास्त किया जाता है। विद्वान विचारण न्यायालय को निर्देशित किया कि उभयपक्ष का साक्ष्य लेकर गुणदोष के आधार पर मुकदमे का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली इस निर्णय की एक प्रति के साथ अविलम्ब विचारण न्यायालय को प्रेषित की जाए। उभयपक्ष विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.07.2026 को उपस्थित होकर न्यायालय कार्यवाही में प्रतिभाग करें।

फौजदारी अपील की पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही, नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांकः–08.07.2026

(सुरेन्द्र प्रताप यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश–षष्ठम्
जौनपुर।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांकः–08.07.2026

(सुरेन्द्र प्रताप यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश–षष्ठम्
जौनपुर।
(ID. No.-UP1668)